आशुतोष ऐ.टी. पेडणेकर
आई.ए.एस.
शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

सत्यमेव जयते

अशा. पत्र क्रमांक : एनटीसीपी/2022/598
जयपुर, दिनांक : 24.03.2022

Respected Sir,

राज्य सरकार की जन घोषणा "19.4–युवाओं में नशे की लत रोकने हेतु कारगर कदम उठाना" तथा निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत वृहत स्तर पर जन जागरूकता के लिये तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की गयी है। उक्त 100 दिवसीय कार्ययोजना में सभी जिलों में ग्राम स्तर तक सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी क्रियान्विति करवायी जायेगी।

उक्त के सम्बंध में समस्त राजकीय एवं निजी वाहनों में (कैब सर्विस एवं रात्रि कालीन निजी डिलैक्स बसों सहित) धूम्रपान निषेध के नियमों की पूर्ण पालना करवाने तथा नियमानुसार धूम्रपान निषेध की सूचना भी प्रदर्शित करवाने के लिये समस्त राजकीय एवं निजी वाहन प्रबंधक/ संचालक को आदेश प्रसारित करवाने का श्रम करावें।

यातायात के साधनों यथा सिटी बस, मिनी बस, रोडवेज बस, टैक्सी, कैब, ऑटो इत्यादि पर तम्बाकू एवं पान–मसाला उत्पादों के विज्ञापन नही किये जायें एवं तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पाये जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही करवाने के सम्बंध में पूर्व में भी यातायात विभाग के स्तर से आदेश जारी किये गये हैं। अतः उक्त आदेशों के क्रम में आदेश प्रसारित करवाने का श्रम करावें।

संलग्न : 100 दिवसीय कार्ययोजना की प्रति संलग्न

Regards,

भवदीय,

(आशुतोष ऐ.टी. पेडणेकर)

श्री अभय कुमार
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
यातायात विभाग,
राजस्थान सरकार।

कमरा नं. 1036, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर–302 005 (राज.)
फोन : 0141-2227807, 2222723 • ईमेल : phs@rajasthan.gov.in